

PS/CE/ELT 4046

DATE 24/12/13

14731
24/12/13

(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE PART IV - EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
DELHI SECRETARIT, I.P. ESTATE, NEW DELHI - 110002

No.F.10(5)/Fin(Rev-I)/2013-14/

Dated the _____ 2013

NOTIFICATION

No.F.10(5)/Fin(Rev-I)/2013-14/ .- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 81 of the Delhi Excise Act, 2009 (Delhi Act 10 of 2010), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules to further amend the Delhi Excise Rules, 2010, namely:-

- Short title and commencement:** (1) These rules may be called the Delhi Excise (Amendment) Rules, 2013.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- Amendment of rule 32.-** In the Delhi Excise Rules, 2010 in rule 32, in sub rule (1) "Class of licences and authorities to grant and renew licences", after Sl.No.14, the following shall be inserted, namely:-

Sl.No.	Form	Details of Licences	Authority empowered to grant	Authority empowered to renew
14 A	L-9A	Retail vend of Indian and Foreign Liquor in Public Sector in Shopping Malls in collaboration with wholesale L-1/L-1F licences	Deputy Commissioner	Deputy Commissioner

- Amendment in rule 154.-** In the Delhi Excise Rules, 2010 in rule 154, in sub rule (2),-

(a) after Sl.No.11, the following row shall be inserted, namely:-

Sl.No.	Reference of rule	Forms of licence	Description of licences	Annual Licence fee (In Rs.)
11 A	32(1)	L-9A	Retail vend of Indian and Foreign Liquor in Public Sector in Shopping Malls in collaboration with wholesale L-1/L-1F licences	8,00,000

Handwritten notes: 24/12/13, DCE, 27/12, AC (H/MS)

Handwritten notes: AC (Test.), Supply (TMRU) Policy, 31-12-13, 30/12/13, 17/18/14

Handwritten note: We may send the copy to S.A. for chosen board to have on the Excise Dept. Site

Handwritten notes: Supply (TMRU), AC (H/MS), 21/1/14

Handwritten note: 17/18/14 CB 21/01/14

Handwritten note: 21/1/2014

(b) after Sl.No.24, the following row shall be inserted, namely:-

Sl.No.	Reference of rule	Forms of licencee	Description of licencees	License fee	
				Having seat cover	License fee (in Rupees)
24 A	32(1)	L-18A	Service of Indian beer /alcopops In independent Restaurant	Upto 50	50,000
				51-100	75,000
				101-200	1,00,000
24 B	32 (1)	L-18AF	Service of Foreign beer/alcopops in independent Restaurant	Ten percent of license fee applicable for L-18A	

By order and in the name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Ravinder Kumar)
Deputy Secretary-VI (Finance)

No.F.10(5)/Fin(Rev-I)/2013-14/dsvi/986

Dated the 20/12/2013

Copy to:-

1. The Principal Secretary(GAD), Govt. of NCT of Delhi with one spare copy for its publication in Delhi Gazette part-IV (extraordinary) in today's date.
2. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi
3. The Commissioner (Excise), Govt. of NCT of Delhi, L-Block, Vikas Bhawan, New Delhi.
4. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Addl. Secretary (L&J), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. Web Site.
7. Guard File.

(Ravinder Kumar)
Deputy Secretary-VI (Finance)

(दिल्ली राजपत्र भाग - 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व -I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली -110002

सं. एफ.10(5)/वित्त(राजस्व-I)/2013-14/ डीएस-VI/

दिनांक

अधिसूचना

सं. एफ.10(5)/वित्त(राजस्व-I)/2013-14:- दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 (2010 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 81 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इसके द्वारा दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 का पुनः संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :- (1) इन नियमों को दिल्ली आबकारी (संशोधन) नियमावली, 2013 कहा जा सकेगा।
(2) ये शासकीय राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगी।
2. नियम 32 में संशोधन :- दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 32 के उपनियम (1) में "लाइसेंसों की श्रेणियां तथा लाइसेंस प्रदान करने और नवीनीकरण के लिये प्राधिकारी" क्रम सं0 14 के पश्चात् निम्नलिखित सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात्:-

क्रम सं0	प्रपत्र	लाइसेंसों का विवरण	प्रदान करने के लिये अधिकृत प्राधिकारी	नवीकरण के लिए अधिकृत प्राधिकारी
14क	एल-9ए	एल-1/एल-1एफ के थोक लाइसेंसधारियों के साथ मिलकर शापिंग माल में सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय तथा विदेशी शराब के खुदरा विक्रय केन्द्र	उपायुक्त	उपायुक्त

3. नियम 154 का संशोधन:- दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 154 के उपनियम (2) में,-

(क) क्रम सं0 11 के पश्चात् निम्नलिखित पंक्ति सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :-

क्रम सं0	नियम का संदर्भ	लाइसेंसों के प्रपत्र	लाइसेंस धारियों का विवरण	वार्षिक लाइसेंस शुल्क
11क	32(1)	एल-9ए	एल-1/एल-1एफ के थोक लाइसेंसधारियों के साथ मिलकर शापिंग माल में सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय तथा विदेशी शराब के खुदरा विक्रय केन्द्र	8,00,000

(ख) क्रम सं० 24 के पश्चात् निम्नलिखित पंक्ति सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :-

क्रम सं०	नियम का उल्लेख	लाइसेंसों के प्रपत्र	लाइसेंस धारियों का विवरण	लाइसेंस शुल्क	
				सीट कवर वाले	लाइसेंस शुल्क (रुपयों में)
24क	32(1)	एल-18क	अलग रेस्तरा में भारतीय बियर/अल्कोप्स परोसना	50 तक	50,000
				51-100	75,000
				101-200	1,00,000
24ख	32(1)	एल-18 एफ	अलग रेस्तरा में भारतीय बियर/अल्कोप्स परोसना	एल 18क के लिये लागू लाइसेंस शुल्क का दस प्रतिशत	

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

(रविन्द्र कुमार)

उप-सचिव-VI (वित्त)

सं. एफ.10(5)/वित्त(राजस्व-I)/2013-14/ डीएस-VI/986
प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

दिनांक 20/12/13

1. प्रधान सचिव, (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली को आज की तारीख से दिल्ली राजपत्र भाग-चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ एक अतिरिक्त प्रति सहित ।
2. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली ।
3. आयुक्त आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर, एल- ब्लाक, विकास भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली
4. अतिरिक्त सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. सचिव, (विधि एवं न्याय) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
6. वेबसाइट ।
7. गार्ड फाईल ।

(रविन्द्र कुमार)

उप-सचिव-VI (वित्त)